



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082023-248090
CG-DL-E-14082023-248090

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 14, 2023/ श्रावण 23, 1945 (शक)

No. 27]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 14, 2023/SRAVANA 23, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 14th August, 2023/Sravana 23, 1945 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 12th August, 2023 and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) ACT, 2023

No. 24 OF 2023

[12th August, 2023.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the State of Chhattisgarh.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2023. Short title.

Amendment
of
Constitution
(Scheduled
Castes) Order,
1950.

2. In the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, in the Schedule, in Part XXIII.— C.O. 19.
Chhattisgarh, for entry 33, the following entry shall be substituted, namely:—

"33. Mahar, Mahara, Mahra, Mehar, Mehra".

DR. REETA VASISHTA,
Secretary to the Govt. of India.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112024-258490
CG-DL-E-06112024-258490

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2 — अनुभाग 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, सोमवार, 9 सितम्बर, 2024/18 भाद्रपद, 1946 (शक) [खंड LX
No. 4] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2024/BHADRA 18, 1946 (SAKA) [VOL. LX

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024/18 भाद्रपद, 1946 (शक)

दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूलड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (2) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूलड ट्राइब्स) आर्डर (सेकंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (3) दि फोरेस्ट (कंजर्वेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2023; (4) दि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन ऐक्ट, 2023; (5) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूलड कास्ट्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (6) दि फार्मसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (7) दि सेन्ट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (8) दि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (9) दि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग ऐक्ट, 2023; (10) दि सेन्ट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सेकंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (11) दि प्रोविजनल कलैक्शन ऑफ टैक्सेस ऐक्ट, 2023; (12) दि पब्लिक इग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) ऐक्ट, 2024 और (13) दि वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2024 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, September 9, 2024/Bhadra 8, 1946 (Saka)

The Translation in Hindi of the following, namely:—The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2023; (2) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Act, 2023; (3) The Forest (Conservation) Amendment Act, 2023; (4) The Digital Personal Data Protection Act, 2023; (5) The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2023; (6) The Pharmacy (Amendment) Act, 2023; (7) The Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023; (8) The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023; (9) The Repealing and Amending Act, 2023; (10) The Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023; (11) The Provisional Collection of Taxes Act, 2023; (12) The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 and (13) The Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 13)	861
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2023	
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 14)	863
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Act, 2023	
वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 15)	865
The Forest (Conservation) Amendment Act, 2023	
डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 22)	871
The Digital Personal Data Protection Act, 2023	
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 24)	899
The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2023	
भेषजी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 29)	901
The Pharmacy (Amendment) Act 2023	
केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 30)	903
The Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023	
एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 31)	907
The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023	
निरसन और संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 37)	911
The Repealing and Amending Act, 2023	
केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 48)	919
The Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023	
अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 50)	921
The Provisional Collection of Taxes Act, 2023	
लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 1)	923
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024	
जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 5)	933
The Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024	

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 24)

[12 अगस्त, 2023]

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित
करने हेतु संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश
(संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

संक्षिप्त नाम ।

संविधान
(अनुसूचित
जातियां) आदेश,
1950 का
संशोधन ।

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में, भाग 23-
छत्तीसगढ़ में, प्रविष्टि 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी,
अर्थात् :—

सं.आ. 19

“33. महार, माहरा, महरा, मेहर, मेहरा” ।
